शोध पत्र

"भारतवर्ष में महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा से सम्बन्धी विधि का अध्ययन"

दुर्गावती (शोधार्थी)
विधि अध्ययनशाला
जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर

प्रस्तावना –

घरेलू हिंसा से आशय परिवार में होने वाली हिंसा से है। यह हिंसा किसी भी सदस्य द्वारा की जा सकती है। परम्परागत दृष्टिकोण और उपलब्ध साहित्य में पुरुष प्रधान समाज में यह अधिकार पुरुष विशेषतौर से मुखिया का होता था। भारतीय समाज में लिंग पर आधारित पारिवारिक हिंसा जनम लेने के पश्चात् बालिका शिशु की हत्या की घरेलू हिंसा पिता की सहमति से माता द्वारा की जाती रही है। अभी भी पूर्ण रूप से यह बन्द नहीं हुई है। घरेलू हिंसा का वास्तविक अर्थ और स्वरूप महिलाओं से सम्बन्धित घरेलू हिंसा से ही है।

भारत में पारिवारिक क्षेत्र में महिलाओं का उत्पीड़न प्राचीन काल से ही होता रहा है, जिसका विवरण हमें प्राचीन धर्मग्रन्थों एवं पुस्तकों में मिलता है। समाज में प्रचलित रीति रिवाजों, मूल्यों विश्वासों एवं विचार धाराओं का भी घरेलू हिंसा विशेषतः महिला उत्पीड़न में योगदान रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं के कल्याण के लिए कई वैधानिक प्रयत्न किये गये। उनमें शिक्षा का प्रसार हुआ वे आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर हुई हैं। इन सबके बावजूद भी उनके प्रति किये जाने वाले अत्याचारों एवं अपराधों में कोई कमी नहीं आयी है। पत्नी पिटाई, पत्नी प्रहार, पुरुष पिटाई, पति प्रहार, सम्बन्ध हिंसा घरेलू दुरुपयोग, दम्पत्ति दुरुपयोग और पारिवारिक हिंसा बलात्कार, दहेज हत्या, महिलाओं को जला देने, भगा ले जाने, अपहरण करने उन्हें मारने पीटने की घटनाएं आज भी अखवारों की सुर्खियों में रहती है।

घरेलू हिंसा की परिभाषा-

पुलिस- महिला, वृद्ध अथवा बच्चों के साथ होने वाली किसी भी तरह की हिंसा अपराध की श्रेणी में आती है। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के अधिकांश मामलों में दहेज प्रताड़ना तथा अकारण मारपीट प्रमुख है।

राज्य महिला आयोग– कोई भी महिला यदि परिवार के पुरुष द्वारा की गई मारपीट अथवा अन्य प्रताड़ना से त्रस्त है तो वह घरेलू हिंसा की शिकार कहलाएंगी घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम,2005 उसे घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण और सहायता का अधिकार प्रदान करता है।

आधारशिला (एन.जी.ओ.)- परिवार में महिला तथा उसके अलावा किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट, धमकी देना तथा उत्पीड़न घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा लैंगिक हिंसा, मौखिक और भावनात्मक हिंसा तथा आर्थिक हिंसा भी घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अपराध की श्रेणी में आते हैं।

महिलाओं की एतिहासिक पृष्ठभूमि-

वैदिक काल-

भारतीय इतिहास का वास्तविक काल वैदिक सभ्यता से ही माना जाता है उस समय महिलाएं धर्म शास्त्रार्थ इत्यादि में पुरुषों की भांति भाग लेती थी। इस काल में उपनयन संस्कार पुत्र व पुत्री दोनों का किया जाता था। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था विधवा पुनर्विवाह की भी अनुमति थी। पर्दाप्रथा का भी प्रचलन नहीं था। तथा स्त्रियों को आदर भाव की स्थिति से देखा जाता था। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं थी। इस युग में पुत्री को पिता की सम्पत्ति में अधिकार था। सार्वजनिक जीवन में महिलाएं भाग लेती थी। पर्दा जैसी कुप्रथा का प्रचलन नहीं था। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं थीं। इस प्रकार वैदिक काल में जबकि नारी की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी आंकी जाती है

उत्तर वैदिक काल-

उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लगी थी। वैदिक काल में पिंडदान इत्यादि के लिए पुत्र जन्म की कामना रहती थी, किन्तु पुत्री के जन्म की कामना रहती थी, किन्तु पुत्री के जन्म पर विशेष आपत्ति नहीं थी।उत्तर वैदिक युग में पुत्री के जन्म को बुरा माना जाने लगा। इस युग में महिलाओं के धार्मिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया। बाल विवाह का प्रचलन, विधवा पुनर्विवाह पर रोक इसी काल में प्रारंभ हुई। इस काल में प्रारम्भ महिलाओं की शिक्षा को सीमित कर दिया गया।

मध्य काल-

महिलाओं की दृष्टि से मध्य काल काला युग है इस काल में मुसलमानों ने अपना आधिपत्य कायम कर लिया था। इस युग में महिलाओं के साथ ज्यादती होने लगी। महिलाओं पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए। मध्य युग में नारी की स्थिति में नारी की स्थिति में परिवर्तन होता गया। मौर्य एवं गुप्त वंश तक नारी ने अपने प्राचीन गौरव तथा सम्मान की रक्षा की किन्तु उसकी शक्ति धीरे–धीरे प्रतिबंधित होती रही और वर्तमान युग तक आते–आते पराधीन हो गई

"पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने।
पुत्रश्च स्थाविरे भावों न स्त्री स्वातंत्रयर्महति।।"

इस युग में माना जाने लगा कि महिलाओं को कभी अकेला न रहकर उसे हमेशा किसी न किसी के संरक्षण में रहना चाहिए। बाल्यावस्था में पिता के, युवावस्था में पति के और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का विधान स्वीकार किया गया। पर्दाप्रथा, बाल विवाह, वेश्यावृत्ति, सती प्रथा इत्यादि में मध्य युग में अधिक वृद्धि हुई महिलाओं का कार्यक्षेत्र घर तक सीमित कर दिया गया। '

वर्तमान काल-

वर्तमान समय में विधि के द्वारा महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा से सम्बन्धित सुधार करने का प्रयास किया गया है महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा से बचाव पाने के लिए महिलाओं का शिक्षित होना आवश्यक है एवं महिलाओं को जागरुक बनने की आवश्यकता है ताकि वे अपने अधिकारों के लिए होने वाली हिंसा के विरुद्ध आवाज उठा सकें।

भारत में घरेलू हिंसा के स्वरूप-

हिंसा की व्यापक व्याख्या के अनुरूप भारतीय परिवारों में घरेलू हिंसा के कुछ प्रमुख स्वरूप निम्नानुसार बताए जा सकते हैं–

- **दुर्व्यवहार-**

दुर्व्यवहार भी एक प्रकार की हिंसा है। यह मानसिक हिंसा का प्रमुख स्वरूप है, जिसमें दुर्व्यवहार करने वाला और जिसके प्रति दुर्व्यवहार किया वाला और जिसके प्रति दुर्व्यवहार किया जाता है– दोनों ही मानसिक हिंसा और परिवार की तनावग्रस्त परिस्थिति के लिये उत्तरदायी होते हैं।

- **मारपीट-**

दुर्व्यवहार की तुलना में मार–पीट का संबंध सीधा शारीरिक हिंसा से जुड़ी हुई घरेलू हिंसा से है। बच्चों की माता–पिता के द्वारा मारपीट, भाई–बहन की मारपीट और सर्वाधिक प्रचलित पति द्वारा पत्नी की मारपीट की घरेलू हिंसा स्पष्टतः परिवार के सदस्यों में दिखाई देती है।

- **दहेज हिंसा-**

घरेलू हिंसा का सबसे वीभत्स रुप दहेज हिंसा का है। दहेज, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की हिंसा को प्रोत्साहित करता है। इसमें विवाह से संबंधित दोनों पक्ष तमाम रिश्तेदार संबंधित होते है। यह घरेलू हिंसा की द्विपक्षीय प्रक्रिया है। दहेज हिंसा की अंतिम शिकार तो पीड़ित स्त्री ही होती है लेकिन अनेक बार और अनेक स्थितियों में दोनों वैवाहिक पक्षों से संबंधित रिश्तेदारो– संबंधियों को सभी मौत के घाट उतार देने के प्रकरण सामने आते रहते हैं स्त्री को तो अनेक प्रकार की यातनाओं का शिकार होना ही पड़ता है। अंत में मौत को भी गले लगाना होता है ।

- **विधवाओं के प्रति हिंसा-**

घरेलू हिंसा का विधवाओं पर अत्याचार का स्वरूप मानव अधिकारों के विपरीत अमानवीय कृत्य है। यह भारतीय विशेष तौर से हिन्दू धर्म की इस भेदभावपूर्ण धारणा पर आधारित है कि पुरुष तो पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह कर सकता है। किन्तु स्त्री पति की मृत्यु के बाद आजीवन वैधव्य के रूप में जीवन जीने के लिए बाध्य होती है।

- **सती प्रथा और हिंसा-**

घरेलू हिंसा में जहां एक ओर दहेज न लाने या कम लाने की स्थितियों में बहुओं को जिंदा जला देने की हिंसा की जाती है वहीं दूसरी और स्त्री को कथित पतिव्रता धर्म और पतिव्रता होने का एहसास दिलाकर सती होने के लिए प्रेरित किया जाता है। सती कर्म के प्रयत्न के लिये एक वर्ष के कारावास के दण्ड का उपबंध किया गया है सती के दुष्प्रेरक को मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास अथवा अर्थदण्ड का उपबंध भी किया गया है।(सती निवारण अधिनियम की धारा 3 ,धारा4)

- **बालिका शिशु एवं भ्रूण हत्या-**

भारत में हिंदू सामाजिक व्यवस्था में पुत्री की अपेक्षा पुत्र का महत्तव अधिक है। ऐसा माना जाता है कि पिता की मृत्यु के पश्चात् पुत्र के पिण्डदान के द्वारा ही पिता को मोक्ष प्राप्त होता है। वंश परंपरा भी पितृ सत्तात्मक परिवारों में पुत्र के द्वारा ही चलती है, न

कि पुत्री के। पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश और दहेज की बड़ समस्या के कारण जन्म लेते ही उसका गला घोंट देने का प्रचलन रहा है।

घरेलू हिंसा के कारण-

भारत में घरेलू हिंसा केवल आज की समस्या नहीं है। इसका आधार सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में रहा है।

- **पुरुष प्रधानता-**

भारत में ही नहीं वरन् विश्व के लगभग सभी समाजों में पुरुष प्रधानता पायी जाती है। स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता– भारत में स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता पायी जाती है। पति ही पत्नी का भरण पोषण करता है। ऐसी स्थिति में उसे पति के अत्याचार सहन करने पड़ते हैं। यदि उसे पति घर से निकाल देता है तो वह बेसहारा हो जाएगी एवं जीवनयापन की कठिनाई भी सामने आएगी।

- **महिला में अशिक्षा-**

भारत में स्त्रियों में साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है शिक्षा का अभाव के कारण महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं तथा वे यह भी नहीं जानतीं कि उनके हितों की रक्षा के लिए कौन–कौन से कानून बने हुए हैं तथा उन पर अत्याचार होने पर उन्हें किन संगठनों की मदद लेनी चाहिए। ।

- **सामाजिक कुप्रथाएं-**

भारत में अनेक कुप्रथाएं प्रचलित है जिनमें बाल–विवाह, परदा प्रथा, दहेज प्रथा विधवा पुनर्विवाह का अभाव आदि प्रमुख हैं। इन कुप्रथाओं का शिकार महिलाओं का ही होना पड़ता है और उनसे सम्बन्धित अत्याचार भी महिलाओं को ही झेलने पड़ते हैं।

- **पारिवारिक तनाव-**

पारिवारिक तनाव भी महिलाओं के प्रति अत्याचार के लिए उत्तरदायी है। जब पति पत्नी के स्वभाव में सामंजस्य नहीं होता है तथा विचारों में अन्तर होता है तब भी पुरुष अपने का पत्नी पर थोपने का प्रयत्न करता है, उसे अपने अनुकूल बनने के लिए बाध्य करता है और अनुकूल न बनने एवं विरोध करने की स्थिति में पति द्वारा पत्नी पर जुल्म ढाए जाते हैं।

- **नशा-**

वे पुरुष जो शराब पीते हैं या अन्य प्रकार का नशा करते हैं नशें के दौरान भी पारिवारिक हिंसा एवं अत्याचार करते हैं। इसका कारण यह है कि नशे की हालत में व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों की जानकारी नहीं होती हे जिसके लिए वह होश में आने पर पंश्चाताप करता है।

- **अपराधी के प्रति निष्क्रियता-**

कई बार अपराध की शिकार महिलाएं अपने प्रति किए गए अपराध को बर्दाश्त करती रहती हैं और वे पुलिस या न्यायालय की शरण में जाने या अन्य लोगों से मदद लेने का प्रयत्न नहीं करती हैं। ऐसी स्थिति में अपराधी को निरन्तर अपराध करने की प्रेरणा मिलती रहती है और वह ऐसा करता चला जाता है।

संवैधानिक व विधायी उपबंध-

भारतीय संविधान में उपबन्ध

हमारे संविधान का अनुच्छेद 15 (1) लिंग के आधार पर भेदभाव करना प्रतिबन्धित करता है पर अनुच्छेद 15 (2) महिलाओं और बच्चों के लिए अलग नियम बनाने की अनुमति देता है यही कारण है कि महिलाओं और बच्चों को हमेशा वरियता दी जा सकती हैं। भारत के संविधान में 73वें व 74वें संशोधन के द्वारा स्थानीय निकायों को स्वायत्तशासी मान्यता दी गई हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि इन निकायों का किस–किस प्रकार से गठन किया जायेगा। संविधान के अनुच्छेद 243 (डी) और 243 (टी) के अन्तर्गत, इन निकायों के सदस्यों एवं इनके प्रमुखों की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित की गईं है। यह सच है कि इस समय उनकी इसमें चुनी हुई महिलाओं का काम अक्सर उनके पति ही करते है।

परिवार न्यायालय अधिनियम के अन्दर परिवार न्यायालय का गठन किया गया है। पारिवारिक विवाद के मुकद्दमें इसी न्यायालय के अन्दर चलतें हैं। इस अधिनियम की धारा 4 (4) (बी) के अन्तर्गत न्यायालय में न्यायिगण की नियुक्ति करते समय महिलाओं को वरियता दी गई है।

है।

स्वीय विधि -

लिंग के आधार पर सबसे ज्यादा भेदभाव स्वीय विधि में दिखाई देता है। और इस भेदभाव को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि समान सिविल संहिता बनायी जाय हमारे संविधान का भाग 4 का शीर्षक है। राज्य के नीति निदेशक तत्व इसके अन्तर्गत रखे गये सिद्धांत न्यायालय द्वारा क्रियान्वित नहीं किये जा सकते पर देश को चलाने में उन पर ध्यान रखना आवश्यक है। अनुच्छेद 44 इसी भाग में है यह अनुच्छेद कहता है कि हमारे देश में समान सिंविल संहिता बनाई जाये पर इस पर पूरी तरह से अमल नहीं हो रहा है। हमारे संविधान के भाग 3 का शीर्षक है– मौलिक अधिकार इनका क्रियान्वयन न्यायालय द्वारा किया जा सकता हैं। इस समय न्यायपालिका के द्वारा मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में संयोजन हो रहा है। न्यायपलिका मौलिक अधिकारों की व्याख्या करते हुए राज्य की नीति निदेशक तत्वों की सहायता ले रहे है। बहुत सारे लोग न्यायालयों को प्रोत्साहित कर रहे है। कि वह देश में समान सिविल संहिता के लिए बडे कदम उठाये उनके मुताबिक–

- संविधान के अनुच्छेद 13 के अन्तर्गत स्वीय विधि और किसी दूसरे कानून में कोई अन्तर नहीं है। यदि स्वीय विधि में भेदभाव है तो न्यायालय उसे अनुच्छेद 13 शून्य घोषित कर सकता है।
- स्वीय विधि संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 15 का उल्लंघन करते हैं और उन्हे निष्प्रभावी घोषित किया जाना चाहिए।
- संसद राजनैतिक कारणों से इस बारे में कोई सही कानून नहीं बना पा रही है। इसलिए न्यायालय को आगे आना चाहिये।

न्याय पालिका ने इस दिशा में एक और कदम **सरला मुदगल बनाम भारत संघ** व **मधु किशवर बनाम बिहार राज्य** में उठाया था। पर इस कदम को **अहमदाबाद वूमन एक्शन ग्रुप (ए.डबल्यू.ए.जी.) बनात भारत संघ** में यह कहते हुये वापस ले लिया कि यह सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है जिससे सामान्यतः न्यायालय का कोई सम्बन्ध नहीं रहता है। इसका हल कहीं और है न कि न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर ।

यदि न्यायालयों के निर्णयों को देखेगें तो पायेगें कि न्यायपालिका किसी भी स्वायी विधि को निष्प्रभावी घोषित करने में हिचकिचाती है। लेकिन उस कानून की व्याख्या करते समय वह महिलाओं के पक्ष में रहता है। यही कारण है कि अपवाद को छोड़कर न्यायालयों में कानून की व्याख्या करते समय उसे महिलाओं के पक्ष में परिभाषित किया। इसके लिये

चाहे उन्हें कानून के स्वाभाविक अर्थ से हटना पड़े यह बात सबसे स्पष्ट रुप से **डेनियल लतीफ बनाम भरत संघ** के फैसले से पता चलती है। इस मुकद्दमे में मुस्लिम स्त्री (विवाह–विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 की वैद्यता को चुनौती दी गई थी।

उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 15 (3) में महिलाओं एवं बालकों के लिए विशेष उपबन्ध किया गया है। इसमें यह कहा गया है। कि – अनुच्छेद 15 की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालको के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी। इस प्रकार अनुच्छेद 15 (3) अनुच्छेद (1) एंव 15(2) का एक अपवाद प्रस्तुत करता है। इसके अनुसार राज्य स्त्रियों एंव बालकों के लिए विशेष अनुबंध कर सकता है। इसे अनुच्छेद 15 के अर्थान्तर्गत विभेद नहीं माना जायेगा।

भारतीय दंड संहिता में उपबंध

क्रूरता (498 क)

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 क के अंतर्गत किसी स्त्री के पति या पति के नातेदारों द्वारा उसके प्रति क्रूरता के सम्बन्ध में उपबन्ध किया गया है। इस धारा के अनुसार– जो कोई किसी स्त्री का पति का नातेदार होते हुए उस स्त्री के साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार करेगा। उसे 3 वर्ष की अवधि के लिए कारावास से दण्डित किया जा सकेगा और वह जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

पी.बी. भिक्षापथी बनाम आंध्रप्रदेश राज्य के मामले में आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय ने यह अभिनिश्चित किया कि पति का प्रतिदिन शराब के नशे में पत्नी को पीटना तथा दहेज की मांग करना धारा 498 क के अन्तर्गत पत्नी के प्रति क्रूरता का व्यवहार होने के कारण दण्डनीय है।

सरोजक्षण शंकरन नायर आदि बनाम महाराष्ट्र राज्य में बम्बई उच्च न्यायालय ने यह अभिकथन किया कि धारा 498 क के अन्तर्गत पत्नी के प्रति क्रूरता से आशय है कि पत्नी के मन में यह युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न हो जाए कि पति के पास रहना उसके जीवन के लिए कष्टप्रद तथा हानिकारक हो सकता है। क्रूरता के सम्बन्ध में निर्णय लेते समय

न्यायालय को पति–पत्नी के मध्य वैवाहिक सम्बन्ध, उनके स्वभाव, शारीरिक एवं सांस्कृतिक स्थिति आदि पर विचार करना होगा।

सरला प्रभाकर बाघमारे बनाम महाराष्ट्र राज्य में बम्बई उच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया कि धारा 498 क अन्तर्गत सभी प्रकार की प्रताड़नाएं शामिल नहीं है। इस अपराध के लिए परिवादी को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि पति तथा उसके नातेदारों द्वारा उसके साथ मारपीट या उत्पीड़न दहेज की मांग पूरी करने के लिए या उसे आत्महत्या करने के लिए विवश करने के लिए की गई थी।

दहेज मृत्यु (धारा 304 ख)

भारतीय दंण्ड संहिता 1860 की धारा 304 ख में दहेज मृत्यु के बारे में प्रावधान किया गया है। यह धारा 1986 के एक संशोधन द्वारा अन्तः स्थापित की गई है। इसका मूल पाठ इस प्रकार है।

धारा 304 (ख) दहेज मृत्यु -

जहाँ विवाह के सात वर्ष के भीतर किसी स्त्री की मृत्यु जल जाने से अथवा शारीरिक क्षति से अथवा सामान्य परिस्थितियों में हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है। कि मृत्यु के ठीक पहले उसे पति द्वारा अथवा पति के रिश्तेदारों द्वारा दहेज के लिए माँग को लेकर परेशान किया गया था। अथवा उसके साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया गया था। तो इसे दहेज मृत्यु कहा जाएगा।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजन के लिए दहेज से अभिप्राय वही है। जो दहेज प्रतिषेद अधिनियम 1961 की धारा 2 में यथा परिभाषित है।

जो कोई दहेज मृत्यु कारित होगा। वह उतनी अवधि से कारावास से दण्डित किया जाएगा। जो सात वर्ष से कम नहीं होगी। लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकती है।

इस प्रकार उपरोक्त धारा के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता हे कि दहेज उत्पीड़न के मामले में दोषी पति या उसके रिश्तेदारों को सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की अवधि से दण्डित किया जा सकेगा।दहेज मृत्यु की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए।

सरोजनी बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश राज्य (1993) 4 एस.सी.सी.632 के मामले में मृतक का शव उसके ससुराल के मकान के स्टोर रुम में पूर्ण रुप से जली हुई अवस्था के रुप में पाया गया था। उसकी जीभ और आँखें बाहर निकली हुईं थीं तथा मुहँ से खून रिस रहा था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेंडिकल रिपोर्ट तथा अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने इसे हत्या का मामला माना।

धारा 113 (ख) दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा– यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है। कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज माँग के लिए या उसके सम्बंध में उस स्त्री के साथ निर्दयता का व्यवहार किया था। या उसको परेशान किया था। तो न्यायालय यह घोषणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की है।

स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजन के लिए दहेज मृत्यु का वही अर्थ है। जो भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 304 ख में है।

दहेज मृत्यु की उपधारणा के संबंध में **हेमचन्द बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा** का एक महत्व पूर्ण मामला है। इस में पत्नी के गले में फाँसी के फंदे से मृत्यु हो जाती है। यह साक्ष्य आती है। कि पत्नी से समय–समय पर दहेज की माँग की जाती थी तथा पति द्वारा उसके साथ निर्दयता पूर्ण व्यवहार किया जाता था। इसे धारा 313 ख के अधीन उपधारणा का मामला माना गया।

कंशराज बनाम पंजाब राज्य ए.आई.आर. 2000 एस.सी. 2324 के मामले में दहेज की माँग को लेकर मृतक को लगातार उसके मृत्यु के दो दिन पूर्व तक जब कि वह अपने माता–पिता से मिली थी, तब तक प्रपीड़ित किया गया। अभिलेख पर दहेज की माँग से सम्बन्धित कोई भी परिस्थितियाँ दर्शित नहीं की गयीं थीं। मृत्यु के ठीक पूर्व में की गयी प्रताड़ना को अस्तित्व में माना गया और इसी आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्धि प्रदान की।

दिलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य 1988 (1) क्राइम्स 211 वाले मामले में पत्नी विवाह के एक वर्ष भीतर फाँसी लगाकर मर गयी थी। दहेज की माँग को लेकर मृतक के प्रति किये गये दुर्व्यवहार और प्रपीड़न को साबित करने के लिए केवल दो साक्षी अर्थात मृतक के पिता और भाई की परीक्षा की गई अभियोजन का मामला सिद्ध हो जाने पर इस तथ्य को अभियुक्त की दोषसिद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता की दोनों साक्षी मृतक के सम्बन्धी हैं।

ऊपर निर्दिष्ट विभिन्न न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों मे प्रतिस्थापित सिद्धांतों और अधिकथित मार्गदर्शनों और दहेज अधिनियम के अधीन किये गये उपचार सम्बन्धी विधान के लक्ष्य और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जिसमें दहेज की माँग को दाण्डिक

विधि के अधीन दण्डनीय बना दिया गया है। अब हम यह पता लगाने के लिये मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करेंगें कि धारा 304-ख की अपेक्षाओं को सिद्ध किया गया है या नहीं और क्या यह ठीक मामला है जिसमें साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ख के अधीन ठीक ढंग से उपधारणा की गई है या नहीं।

भारतीय दण्ड संहिता के धारा 304-ख के अधीन मामलों को सिद्ध करने के लिये जिन तथ्यों को साबित करना होता है। वे हैं

(1) विवाह से 7 वर्ष के भीतर किसी स्त्री की अस्वाभाविक मृत्यु होना

(2) पति या पति के नातेदार द्वारा दहेज की किसी माँग के लिए या उसके उसके सम्बन्ध में, उसके साथ क्रूरता की थी, या उसे तंग किया गया हो।

कई सुसंगत तथ्यों का अध्ययन करने के पश्चात् यह नहीं सिद्ध किया जा सका कि उसने मृत्यु के पूर्व किसी प्रकार की क्रूरता अपनी पत्नी के साथ की थी। अतः उसकी दोष सिद्धि अपास्थ कर दी गई।

आत्म हत्या का दुषप्रेरण (धारा 306)

मृत्यु जैसे अपराध से जुड़ा हुआ ही यह एक और अपराध है। जो सीधा महिलाओं से सम्बन्ध रखता है। कई बार दहेज उत्पीड़न निर्दयता व्यवहार आदि से विवाहित इतनी परेशानी हो जाती कि उसके समक्ष आत्महत्या करने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह जाता है। आज आये दिन इस प्रकार की घटनायें कारित हो रही है। यही कारण हैं कि ऐसी आत्महत्या में दुष्प्रेरण बनने वाले व्यक्ति के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 में प्रावधान किया गया है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा वह दोंनो में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा।

पंजाब राज्य बनाम इकबालसिंह के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यदि अभियुक्त या उसके घरवालों ने मिलकर सावधानीपूर्वक एक ऐसा वातावरण तैयार किया था कि पत्नी आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित हो जाए, अतः अभियुक्त और उसके परिजन धारा 306 के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाएगा।

साक्ष्य अधिनियम 1872 में धारा 113 क

बढ़ती हुई दहेज मृत्यु तथा आत्महत्या के दुष्प्रेरण की घटनाओं को रोकने के लिए कालान्तर में साक्ष्य विधि में संशोधन किया गया साक्ष्य अधिनियम1872 में धारा 113वें धारा 113 क जोड़ी गयी है। धारा 113 क किसी स्त्री को आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा जब यह प्रश्न हो कि क्या किसी स्त्री को आत्महत्या करने के लिए उसके पति के किसी सम्बंधी ने दुष्प्रेरित किया था और यह दर्शित किया था कि उस स्त्री ने विवाह की तारीख से सात वर्ष के भीतर आत्महत्या की थी और यह कि उसके पति या पति के किसी सम्बंधी ने उसके साथ निर्दयता का व्यवहार किया था तो मामले की समस्त अन्य परिस्थतियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या के लिए उसके पति के ऐसे सम्बन्धी ने दुष्प्रेरित किया था।

स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना धारा 313

जो कोई उस स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करेगा। वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष की हो सकेगी दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा इस से सपष्ट हेता है। कि यदि किसी स्त्री का गर्भपात उसका जीवन बचाने के लिए सद्भावना पूर्वक किया जाता है। तो वह दण्डनीय नहीं है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम , 2005

इस अधिनियम के प्राथमिक हितग्राही महिला एवं शिशु हैं इस अधिनियम की धारा 2 (क) किसी भी उस महिला को जो मामले के प्रत्यर्थी से घरेलू रिश्ते में हैं या रह रही है ।यह महिलाओं को उस व्यक्ति , जिसके साथ घरेलू रिश्ता रखती है । जिसने उसे घरेलू हिंसा का शिकार बनाया है , के विरुद्ध मामला प्रस्तुत करने को सशक्त करती है । ऐसी महिलाओं के साथ कुटुंब के भीतर होने वाली किसी किस्म की हिंसा से पीड़ित है, जैसे शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा , मौखिक और भावनात्मक हिंसा, आर्थिक हिंसा, गाली गलौच आदि से तथा दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की अवैध मांग को पूरा करने के लिए यातना देना , नुकसान पंहुचाना या जोखिम मे डालना । इस तरह का कोई भी व्यवहार घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है यह अधिनियम उन्हें घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है ।

महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा को रोकने सम्बन्धी सुझाव-

किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को सहना नहीं चाहिए और आप इसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती हैं। हर महिला को उत्पीड़न का विरोध करना चाहिए

- **आश्रय की व्यवस्था-**

सरकार और स्वयंसेवी संगठनों को ऐसी महिलाओं के लिए आवास की व्यवस्था करनी चाहिए जो पति और ससुराल वालों के अत्याचार से तंग आकर घर छोड़ना चाहती हैं। जिन महिलाओं का अपहरण किया गया है या जिन्हें भगाकर ले जाया गया है वे जब पकड़ ली जाती हैं तो उनके लिए सुरक्षित, स्थायी या अस्थायी आश्रय जुटाना चाहिए।

- **रोजगार की व्यवस्था-**

स्त्रियों द्वारा उनके प्रति की जाने वाली हिंसा को बर्दाश्त करने का एक कारण आर्थिक है। वे अपने व अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए पति एवं ससुराल पक्ष के लोगों पर निर्भर होती हैं। यदि ऐसी महिलाओं के लिए रोजगार एवं नौकरी की व्यवस्था की जाए, उन्हें छोटा–मोटा व्यवसाय करने के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जाए और परामर्श की सुविधा प्रदान करायी जाए तो वे अपने प्रति की गयी हिंसा को सहन नहीं करेंगी और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेंगी।

- **शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाए-**

स्त्री पर अत्याचार का एक कारण स्त्रियों का अशिक्षित होना भी है। इसे रोकने के लिए शिक्षा का प्रसार किया जाए, जो पढ़ाई छोड़ चुकी हैं और आगे पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा एवं व्यावसायिक एवं अन्य प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी और अपने प्रति किए जाने वाले अत्याचारों का विरोध कर सकेंगी।

- **अपराधी के लिए दण्ड की व्यवस्था-**

जो लोग अपनी पत्नियों को परेशान करते हैं, उनकी सामाजिक निन्दा की जाए और उन्हें सार्वजनिक रूप से दण्डित किया जाए, जिससे कि अन्य लोगों को भी सबक मिले और वे ऐसा करने के लिए प्रेरित न हों।

- **महिला न्यायालयों की स्थापना-**

महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों एवं हिंसा की सुनवाई के लिए पृथक से महिला न्यायालयों की स्थापना की जाए जिसमें अनुभवी महिला न्यायाधीश हों। इससे सामान्य न्यायालयों में जाने का महिलाओं में जो भय होता है वह समाप्त होगा और वे अपनी बात

को इन न्यायालयों में साफ–साफ कह पाएंगी। ऐसे न्यायालयों की सुनवायी एवं कार्यवाही सार्वजनिक रूप से न हो। उनमें केवल न्यायाधीश, प्रतिवादी एवं पीड़ित महिला की मदद करने वाले लोगों एवं आरोपियों को ही आने की इजाजत हो।

- **पुलिस का हस्तक्षेप-**

पुलिस की भूमिका काफी संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। उनकी ट्रेन में घरेलू हिंसा एवं महिला संवेदनशीलता को विशेष रूप से शामिल किया जाना चाहिए। प्रत्येक थाने पर प्रतिमाह "समस्या समाधान शिविर" आयोजित करने का आदेश निकल चुका है पर उसकी किसी को भी जानकारी नहीं है इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। इसका दिन व समय तय होना चाहिये अखवार, रेडिया, दूरदर्शन पर प्रचार होना चाहिए।

- **महिला आयोग का हस्तक्षेप-**

महिला आयोग का महिला हिंसा के संबंध में संदेश सरकार को मिलना चाहिये। वह ताकतवर है, यह संदेश नहीं जा रहा है। वह अपने ही निर्णय को लागू नहीं करवा पा रहा है, यह स्थिति बदलना होगी। महिला आयोग को नीतिगत स्तर पर हस्तक्षेप करना चाहिए। जैसे महिला नीति कार्यस्थल पर महिला यौन शोषण के बारे में उच्चतम न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है। महिला विकास कार्यक्रम की क्या उपादेयता है उसे कैसेट सार्थक बनाया जा सकता है। ऐसे कौन से निर्णय एवं कार्य है, जो महिलाओं पर विपरीत प्रभाव डाल रहें है, इन सब पर आयोग की नजर रखनी चाहिए और समय–समय पर हस्तक्षेप करते रहना चाहिए।

निष्कर्ष-

एक समय था जब भारत में महिलाएं अपने पति व रिशतेदारों पर निर्भर होतीं थीं और आत्मनिर्भर न होने के कारण उनके साथ अत्याचार भी हो तो भी उसे सहने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं था यही कारण है की देश में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की वारदातें प्राय: परिवार मे ही घटित होती हैं । भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को लिंग भेद का शिकार होना सामान्य बात है तथा प्रायः जन्म से ही उसे इस कुरीति का शिकार होना पड़ता है । पुरुषवर्ग परिवार की महिला सदस्यों के प्रति भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाते हुये मानसिक और शारीरिक क्लेश पहुँचाते हैं जिसे विवश होकर स्त्री को सहन

करना पड़ता है । अपने सम्मान और लोकलज्जा के कारण प्रताड़ित महिला घरेलू हिंसा का प्रतीकार नहीं करती और न इसके विरुद्ध आवाज उठा पति है ।

भारत का संविधान लागू होने के परिणामस्वरूप लैंगिक समता महिला सशक्तिकरण आदि सम्बन्धी संविधानिक प्रावधान प्रभावी हैं वर्तमान में मानवाधिकार सम्बन्धी कानून तथा महिला आयोग के गठन से महिलाओं के प्रति अत्याचारों में कुछ सीमा तक कमी आई है फिर भी उनके सशक्तिकरण की दिशा में अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. डॉ. सुमन राय–कमेन्ट्री ऑन घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005एवं नियम,2006 (ऑरिएण्ट पब्लिशिंग)
2. एस. के. वाधवा–घरेलू हिंसा एवं यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण कानून
3. ममता राव–लॉ रिलेटिंग टू वुमन एण्ड चिल्ड्रन (ईस्टर्न बुक कम्पनी)
4. डॉ. ना.वि. परांजपे, अपराध शास्त्र एवं दण्ड प्रशासन
5. दांडिक विधि–सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए विधि पुस्तक माला, भाग1.
6. पॉलिटिकल एण्ड लॉ टाइम्स
7. डॉ सविता सिंह–महिला सशक्तिकरण
8. समाजशास्त्र–डॉ. कृष्ण लाल द्विवेदी
9. अपराध शास्त्र–डॉ. धर्मवीर महाजन एवं कमलेश महाजन
10. अपराध शास्त्र एवं दण्ड प्रशासन–एस.एस. श्रीवास्तव
11. हनुमान प्रसाद गुप्त–नारी उत्पीड़न एवं जागरुकता
12. डॉ. बसन्ती लाल बाबेल–महिला एवं बाल कानून